



कार्यालय

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233

E-Mail dfobarkot@gmail.com

वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्रांक- 924 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, अक्टूबर 08, 2015।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत फुलधान नहर निर्माण हेतु 0.2695 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत सिचाई खण्ड पुरोला का हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1070/12-1(1), दिनांक 07.10.2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत नहर निर्माण के संबंध में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया गया जिसकी सूचना आनलाईन अपलोड कर हार्ड प्रति आपको प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या 5- कार्ययोजना के अनुसार आवेदित भूमि किसाला कक्ष-2 एवं 3 ए के अन्तर्गत है जिसकी सूचना आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

बिन्दु संख्या 6- प्रश्नगत नहर निर्माण भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार सही है। तदनुसार सूचना आनलाईन अपलोड कर दी गई है।

बिन्दु संख्या 7- प्रस्तावित मोटर मार्ग के स्थल से वन सीमा की दूरी 0.50 कि०मी० है। जिसकी सूचना आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

बिन्दु संख्या 12- प्रस्तावित नहर में अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। तदनुसार सूचना आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

बिन्दु संख्या 13- प्रश्नगत नहर 1 है० से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया जाना है। इसके ऐवज में रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण हेतु मु० 1.48 लाख एवं काटे जाने वाले वृक्षों के ऐवज में कम से कम 100 पौधों का रोपण हेतु 0.169 लाख का प्राक्कलन बनाया गया है।

बिन्दु संख्या 14- (District Profile) में वर्ष 1980 से वर्तमान तक 91 मामलों में 135.1275 है० वन भूमि गैर वानकी कार्य हेतु हस्तान्तरित की गई है। जिसके विरुद्ध सितम्बर-2015 तक आरक्षित वन भूमि में 34.27 है० एवं सिविल भूमि में 190.35 है० कुल 224.62 है० का वृक्षारोपण किया गया है। उक्त सूचना आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

आपके कार्यालय पत्रांक-1894/12-1(क्षतिपूरक वृक्षारोपण), दिनांक 18.03.2015 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-210/12-1, दिनांक 29.07.2015 से प्रेषित सूचना के अनुसार बिन्दु संख्या 14 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबन्धित सूचना भर दी गई है।

अतः प्रस्ताव ई०डी०एस० के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी०के० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।